

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-5867/77-4-24/यूओ-45/24
लखनऊ दिनांक- 09 अक्टूबर, 2024

मै0 पिवोटल इन्फोटेक प्रा0 लि0, ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा ... विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका मै0 पिवोटल इन्फोटेक प्रा0 लि0, द्वारा ग्रेटर नोएडा में आवंटित IT/ITeS भूखण्ड संख्या 33A, Sector-Knowledge Park-5, क्षेत्रफल 20235 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश दिनांक 04.06.2021 के विरुद्ध दिनांक 14.09.2024 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अंतर्गत दाखिल की गयी है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 27.09.2024 के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 30.09.2024 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राधिकरण की ओर से आभासी रूप में श्रीमती प्रेरणा सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं श्री एन0के0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी द्वारा तथा याची संस्था की ओर से श्री रौनक सतपथी, अधिवक्ता एवं श्री सिद्धार्थ नन्दवानी, अधिवक्ता द्वारा भौतिक रूप में प्रतिभाग किया गया।

2. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड क्षेत्रफल 20235 वर्ग मीटर का आवंटन दिनांक 05.09.2008 को कुल प्रीमियम रू0 7,54,58,000.00 पर किया गया था, जिसके 30 प्रतिशत का भुगतान तत्समय कर दिया गया था एवं अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 12 अर्धवार्षिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर किया जाना अपेक्षित था। तत्श्चात् प्राधिकरण द्वारा लीज डीड के निष्पादन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.05.2013 को कुल क्षेत्रफल 19676.10 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में 30 दिन के अन्दर लीज डीड के निष्पादन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.05.2013 को कुल क्षेत्रफल 19676.10 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में 30 दिन के अन्दर लीज डीड निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके क्रम में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा दिनांक 25.06.2013 को इस आशय का पत्र दिया गया था कि वह लीज डीड पूर्ण क्षेत्रफल का करने को तैयार है अथवा उसे कुल एफ0ए0आर0 के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग संस्थागत उपयोग में करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए।

3. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.10.2013 द्वारा रू0 521.53 लाख जमा करने की माँग की गयी है, जिसके प्रतिउत्तर में संस्था द्वारा पत्र दिनांक 14.10.2013 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपलब्ध कराये गये भूखण्ड का क्षेत्रफल कम है एवं इस भूखण्ड पर कतिपय अतिक्रमण विद्यमान है, अतः भूखण्ड को अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा प्रदान किया जाए।
4. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.12.2013 द्वारा कुल क्षेत्रफल 20,160.72 वर्ग मीटर की लीज डीड निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया है, जिसके क्रम में दिनांक 31.01.2014 को कुल क्षेत्रफल 20160.72 वर्ग मीटर की लीज डीड निष्पादित की गयी है। अवशेष क्षेत्रफल 79.28 वर्ग मीटर की लीज डीड अतिक्रमणयुक्त होने के कारण निष्पादित नहीं की जा सकी है। तत्पश्चात् दिनांक 11.02.2014 को भूखण्ड का Possession Memo उपलब्ध करा दिया गया है।
5. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा भूखण्ड की बाउण्ड्री वाल बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ऐसा करने से रोक दिया गया। इसको देखते हुए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2014 एवं पत्र दिनांक 04.09.2014 द्वारा प्राधिकरण से यह निवेदन किया गया है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं भूखण्ड खाली करके उपलब्ध कराया जाए।
6. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 24.11.2014 के माध्यम से भूखण्ड का पुनरीक्षित पेमेन्ट प्लान निर्गत किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में संस्था द्वारा पत्र दिनांक 26.12.2014 के माध्यम से भूखण्ड को अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा पत्र दिनांक 11.11.2016 द्वारा प्राधिकरण से अवशेष 79.28 वर्ग मीटर की Supplementary लीज डीड कराने का अनुरोध भी किया गया है।
7. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.06.2017 द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में रू0 1,10,88,396.00 की माँग की गयी है एवं पत्र दिनांक 31.12.2018 द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में रू0 60,45,193.00 दिये जाने की माँग की गयी है। इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा कुल धनराशि रू0 4,47,73,530.00 जमा किये जाने की माँग की गयी है। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा इन सभी माँग के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 18795/2019 दायर की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.07.2019 द्वारा उ0प्र0 शासन के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश के अनुपालन में पुनरीक्षण याचिका शासन के समक्ष दायर की गयी, जो कि आदेश दिनांक 17.03.

2020 के द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित कर दी गयी है। इस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा रिट याचिका संख्या 3326/2021 दायर की गयी है।

8. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.06.2021 के द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 13614/2021 दायर की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.07.2021 द्वारा निरस्तीकरण आदेश, इस शर्त के साथ स्थगित कर दिया गया यदि संस्था द्वारा प्राधिकरण के खाते में रू0 6 करोड़ जमा कर दिया जाए। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तत्समय कोविड की परिस्थितियों विद्यमान होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था एवं वह मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में धनराशि जमा नहीं कर सका था।

9. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा रिट याचिका संख्या 21233/2022 दायर की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.08.2022 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि रिट याचिका संख्या 13614/2021 में समुचित relief के लिए आवेदन किया जाए। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा रिट याचिका संख्या 13614/2021 इस आशय के साथ मा0 उच्च न्यायालय में Withdraw कर ली गयी कि वह उचित forum में appropriate remedy प्राप्त करना चाहता है।

10. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के विचाराधीन रहते हुए उसके द्वारा रिट याचिका संख्या 5019/2023 दायर की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.06.2023 द्वारा पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण 04 सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये हैं। अन्त में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह याचना की गयी है कि आदेश दिनांक 04.06.2021 अपास्त किया जाए एवं भूखण्ड उसके पक्ष में पुनर्स्थापित कर दिया जाए।

11. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.09.2008 के माध्यम से भूखण्ड संख्या-33ए, सैक्टर-नॉलेज पार्क-5, क्षेत्रफल 20235 वर्गमीटर (5 एकड़), रू0 3729.08 प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित किया गया। आवंटन-पत्र के अनुसार भूखण्ड की कुल कीमत रू0 7,54,58,000.00 निर्धारित की गयी। याची कम्पनी को आवंटन-पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर आवंटन धनराशि के मद में कुल प्रीमियम की 20 प्रतिशत धनराशि रू0 1,48,77,400.00 प्राधिकरण के पक्ष में जमा करायी जानी थी तथा कुल प्रीमियम की अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि रू0 5,28,20,600.00 को वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के मध्य 12 छमाही किश्तों में जमा कराये जाने हेतु आवंटन-पत्र निर्गत किया गया।

12. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि योजना ब्रोशर की शर्त संख्या ए-6 में यह स्पष्ट था कि "The allotment of plot will be made on lease hold basis for a period of 90 years from the date of execution of lease deed, on 'as is where is' basis". इसके अतिरिक्त पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी को जारी आवंटन-पत्र की शर्त संख्या-9 में स्पष्ट किया गया था कि "The plot is allotted on as is where is basis"

भूखण्ड के प्राप्त लीज प्लान के अनुसार क्षेत्रफल 19676.10 वर्गमीटर के अनुसार पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी को दिनांक 28.05.2013 को चेक लिस्ट जारी की गयी है। ऐसे में पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी को परियोजना पर सुविधाएँ बिना लीज डीड निष्पादन के अनुमन्य नहीं की जा सकती थी। भूखण्ड के प्राप्त लीज प्लान के अनुसार क्षेत्रफल 19676.10 वर्गमीटर के अनुसार पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी को दिनांक 28.05.2013 को चेक लिस्ट जारी की गयी। परियोजना विभाग से उक्त भूखण्ड का पुनः क्षेत्रफल 20240 वर्गमीटर का संशोधित लीज प्लान प्राप्त हुआ, जिसमें भूखण्ड के क्षेत्रफल 79.28 वर्गमीटर पर अतिक्रमण दर्शाया गया।

13. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित कराते समय भूखण्ड के क्षेत्रफल, भूखण्ड के सापेक्ष देयताओं तथा भूखण्ड की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया था। पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी की लिखित सहमति के उपरान्त ही पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड के अतिक्रमित क्षेत्रफल 79.28 वर्गमीटर को छोड़ते हुए अवशेष क्षेत्रफल 20160.72 वर्गमीटर के अनुसार दिनांक 31.01.2014 को भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित कराया गया है। पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा पट्टा प्रलेख निष्पादन के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया कि "That incase the area increased or decreased as the case may be, the necessary documents will be executed at our expenses i.e. stamp duty, registration fee etc. That Greater Noida Industrial Development Authority shall not be held responsible for increased or decreased area and no claim or compensation demand from the authority in any circumstances will be made". पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी को आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष पट्टा प्रलेख निष्पादन के समय दिनांक 12.12.2013 तक प्रीमियम के मद में धनराशि ₹0 4,30,26,218.50 की देयता बन रही थी, जिसको पुनर्निर्धारित करने हेतु पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा दिनांक 27.11.2013 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त देयताओं को समिति द्वारा पुनर्निर्धारित न करने की दशा में प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराने हेतु उल्लिखित किया गया। ऐसे में पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा जबरन पट्टा प्रलेख निष्पादित कराये जाने का कथन पूर्णतया निराधार है।

14. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी के अनुरोध दिनांक 20.06.2014 के अनुक्रम में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 27.11.2014 के माध्यम से आवंटित भूखण्ड की किशतों को पुनर्निर्धारित कर भुगतान प्लान निर्गत किया गया। पुनर्निर्धारित भुगतान प्लान के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी को भूखण्ड के प्रीमियम के सापेक्ष निर्धारित किशतों को वर्ष 2015 से 2018 के मध्य आठ छमाही किशतों में प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराया जाना निर्धारित किया गया, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा भूखण्ड की किशतों को पुनर्निर्धारित किये जाने के उपरान्त भी निर्गत भुगतान प्लान की किशतों को समयान्तर्गत प्राधिकरण के पक्ष में जमा नहीं कराया गया।

15. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 29.06.2017, दिनांक 31.12.2018 तथा दिनांक 08.02.2019 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या 18795/2019 पिवोटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के माध्यम से चुनौती दी गयी। सन्दर्भित याचिका में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2019 को आदेश पारित किये गये, जिसमें राज्य सरकार को याची कम्पनी के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के आदेश दिये गये। साथ ही प्रत्यावेदन निस्तारण होने तक याची कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के आदेश दिये गये। याचिका संख्या-18795/2019 पिवोटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा शासन के समक्ष दिनांक 05.08.2018 को प्रस्तुत निगरानी/रिविजन अपील को शासनादेश दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से निस्तारित किया गया है, जो कि पूर्णतया नियमानुसार है।

16. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा शासनादेश दिनांक 17.03.2020 को मा० न्यायालय में याचिका संख्या:-3326/2021 मैसर्स पिवोटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में चुनौती दी गयी। मा० न्यायालय द्वारा याचिका में शपथ-पत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया था तथा प्रकरण को दिनांक 05.07.2021 में लिस्ट करने हेतु आदेश पारित किये गये थे। याचिका में प्राधिकरण की तरफ से शपथ-पत्र दायर किया जा चुका था। पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा निरन्तर प्राधिकरण योजना ब्रोशर, आवंटन एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण प्राधिकरण के आदेश संख्या: ग्रे.नो./आई.टी./2021/207, दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से सन्दर्भित आवंटन निरस्त किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा प्राधिकरण के निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या:-13614/2021 मैसर्स पिवोटल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य योजित की गयी है। सन्दर्भित याचिका में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2021 को आदेश पारित करते हुए प्राधिकरण के आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 04.06.2021 पर इस आशय से रोक लगायी

गयी कि पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी दिनांक 16.08.2021 से पूर्व देयता रू0 6.00 करोड प्राधिकरण में जमा करें। कम्पनी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 13614/2021 में दिनांक 12.07.2021 को पारित आदेश के अनुसार दिनांक 16.08.2021 तक धनराशि रू0 6.00 करोड प्राधिकरण के पक्ष में जमा नहीं कर पायी है।

17. मेरे द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन दिनांक 05.09.2008 को किया गया था एवं तत्पश्चात् भूखण्ड की लीज डीड दिनांक 31.01.2014 को हो सकी थी। यह लीज डीड क्षेत्रफल 20,160.72 वर्ग मीटर की गयी थी एवं क्षेत्रफल 79.28 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण होने के कारण इससे अलग रखा गया था। इस भूखण्ड के सापेक्ष आवंटन के दिनांक से देयता स्थापित हो गयी थी एवं तदनुसार ही पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा देयताओं का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। लीज डीड के दिनांक तक प्रीमियम के मद में कुल धनराशि रू0 4,30,26,218.00 की देयता बनती थी। इस धनराशि को पुनर्निर्धारित करने हेतु संस्था द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था एवं प्राधिकरण के पत्र दिनांक 27.11.2014 के माध्यम से आवंटित भूखण्ड की किशतों को पुनर्निर्धारित कर Revised Payment Plan निर्गत किया गया था। इस Revised Payment Plan के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा अवशेष धनराशि जमा नहीं करायी गयी है।

18. मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 37443/2011 गजराज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की गयी है, जिसका भुगतान पुनरीक्षणकर्ता संस्था को किया जाना अपेक्षित है। यह धनराशि जमा करने के लिए पुनरीक्षणकर्ता संस्था को निर्देशित किया गया है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के अनुसार यह धनराशि भी अभी तक जमा नहीं करायी गयी है। अतएव प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.06.2021 द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

19. वर्तमान में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वह भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त धनराशियों का भुगतान कर, भूखण्ड पर परियोजना स्थापित करना चाहता है। चूँकि पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा भूखण्ड के समस्त देयकों का भुगतान तत्काल करने की प्रतिबद्धता दर्शायी गयी है, ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश दिनांक 04.06.2021 अपास्त किया जाता है एवं भूखण्ड पुनरीक्षणकर्ता संस्था के पक्ष में सशुल्क पुनर्स्थापित किया जाता है। यह निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक प्रीमियम, प्रीमियम पर देय ब्याज एवं दण्ड ब्याज, लीज रेन्ट, लीज रेन्ट पर देय ब्याज एवं दण्ड ब्याज, पुनर्स्थापना शुल्क के रूप में देय धनराशि, समय विस्तारण शुल्क के रूप में देय धनराशि एवं प्राधिकरणों के अन्य देयकों का निर्धारण करते हुए धनराशि निर्धारित होने के 30 दिन के अन्दर धनराशि को जमा कराया जाना

सुनिश्चित करेंगे। यदि 30 दिन में संस्था द्वारा अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करायी जाती है, तो यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।


तदनुसार एतद्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या:-5867(1)/77-4-24/यू0ओ0-45/24 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
2. मै0 पिवोटल इन्फोटेक प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
3. मो0 वली अब्बास, निदेशक, आई.टी. इन्वेस्ट यू0पी0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव